2005:CGHC:1411

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

बिलासपुर (छ. ग.)

रिट याचिका सं. 2581/2005

याचिकाकर्ता वी. जी. तामस्कर
उम्र लगभग ६० वर्ष
पिता - स्व. जी. वाइ. तामस्कर
अधिवक्ता, चेम्बरः फ्लैट सं.-३०२
शांति अपार्टमेंट,टिकरापारा,
बिलासपुर (छ. ग.)
स्थायी पता
मकान सं- ९/४७०
मोहन नगर, दुर्ग,तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरूद्ध

प्रत्यर्थीगण

१. **छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय**
द्वारा- रजिस्ट्रार जनरल
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
बिलासपुर (छ. ग.)

२. **मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय**
द्वारा- रजिस्ट्रार जनरल
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
जबलपुर (म. प्र.)

३.**छत्तीसगढ़ राज्य बार काउंसिल**
द्वारा- सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य बार काउंसिल

उच्च न्यायालय परिसर
बिलासपुर (छ. ग.)

४. श्री पी.एस. नायर
अभिहित वरिष्ठ अधिवक्ता म. प्र. 23/1958 अधि.
निवासी- 1570 नेपियर टाउन
जबलपुर (म. प्र.)

५. डॉ. एन.के. शुक्ला
अभिहित वरिष्ठ अधिवक्ता

६.श्री प्रमोद कुमार वर्मा
वरिष्ठ अधिवक्ता नामित
(सीजी/33/1968)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

७. श्री कनक तिवारी
वरिष्ठ अधिवक्ता नामित
(सीजी/317/1971)

८.श्री प्रीतिंकर दिवाकर
वरिष्ठ अधिवक्ता नामित
(सीजी/708/1984)

९.श्री रविशंकर जायसवाल
वरिष्ठ अधिवक्ता नामित
(सीजी/1319/1988)

१०.श्री गौरीशंकर अग्रवाल
वरिष्ठ अधिवक्ता नामित
(सीजी/313/1962)

११. श्री दयाराम शर्मा

वरिष्ठ अधिवक्ता नामित
(सीजी/413/1962)

१२. श्री पी.के.सी. तिवारी

वरिष्ठ अधिवक्ता नामित
(सीजी/214/1964)

१३. श्री.काज़ी अनवरुद्दीन अंसार
वरिष्ठ अधिवक्ता नामित
(सीजी/405/1968)

१४. श्री हरि भगत अग्रवाल
वरिष्ठ अधिवक्ता नामित
(सीजी/535/1973)

१५. श्री नवलकिशोर अग्रवाल
वरिष्ठ अधिवक्ता नामित
(सीजी/185/1979)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

१६. श्री शशांक दुबे वरिष्ठ
अधिवक्ता नामित
(सीजी/793/1982)

१७. श्री विनय कुमार हरित
वरिष्ठ अधिवक्ता नामित
(सीजी/77/1984)

१८. श्री वी.वी.एस. एन. मूर्ति
वरिष्ठ अधिवक्ता नामित
(सीजी/914/1984)

१९. श्री प्रशांत जायसवाल
वरिष्ठ अधिवक्ता नामित
(सीजी/846/1985)

२०. श्री प्रशांत कुमार मिश्रा
वरिष्ठ अधिवक्ता नामित

(सीजी/924/1987)

२१. श्री मनिंद्र श्रीवास्तव
वरिष्ठ अधिवक्ता नामित

2005:CGHC:1411

(सीजी/1075/1987)

उत्तरदाता क्रं. 5 से 21 द्वारा- सचिव उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ,
उच्च न्यायालय परिसर,बिलासपुर,तहसील और जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2005:CGHC:1411

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ. ग.)

युगल पीठ

कोरमः- माननीय श्री ए . के. पटनायक, मुख्य न्यायाधीश
एवं
माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री , न्यायाधीश

रिट याचिका क्रं. 2581/2005

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वी. जी. तामस्कर

विरूद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य।

उपस्थित -
याचिकाकर्ता - द्वारा श्री वी. जी. तामस्कर स्वंय

आदेश

(27 जुलाई 2005 को पारित)

न्यायालय का यह आदेश माननीय श्री ए . के. पटनायक, मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया।

1. याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में विधि व्यवसाय करने वाले अधिवक्ता हैं तथा उनकी सार्वजनिक सेवा की पृष्ठभूमि है। उन्होंने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी क्र. 5 - 21 को इस न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किए जाने वाले आदेश को अपास्त करने तथा उन सभी अधिवक्ताओं को , जिन्होंने उत्प्रेषण / परमादेश याचिका प्रस्तुत करके वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित होने के लिए आवेदन किया था, को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने का , निर्देश दिए जाने हेतु यह याचिका प्रस्तुत की है। याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को उचित याचिका जारी कर अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने के लिए अलग नियम बनाने का निर्देश दिए जाने की प्रार्थना भी की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं /जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए हैं, न्यायालय के समक्ष निवेदन किया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने "**डेमोक्रैटिक बार एसोसिएशन बनाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मामले में, 2001 (5) एसएलआर 88**" के वाद में अधिवक्ता संघ और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विधि व्यवसाय करने वाले अधिवक्ताओं द्वारा "वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नामित करने के नियमों की निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाली रिट याचिका'' को पोषणीय पाया था। याचिकाकर्ता द्वारा तर्क किया गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के उक्त निर्णय के अनुसरण में, वर्तमान रिट याचिका, जिसके द्वारा इस न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति को चुनौती दी गई है, पोषणीय है।

3. हमारे (न्यायालय के) मन में कोई संशय नहीं है कि इस न्यायालय के एक अधिवक्ता को उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित किए जाने वाले निर्णय को

चुनौती देने के लिए रिट याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार है। **''एस.पी. गुप्ता बनाम भारत के राष्ट्रपति के वाद में, एआईआर 1982 एससी 149 में''**, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अधिवक्ताओं का एक स्वतंत्र न्यायपालिका के क्रियाकलाप में अधिवक्ताओं का महत्वपूर्ण हित है ताकि वादियों को निष्पक्ष और निर्भीक न्याय सुनिश्चित किया जा सके तथा वे उच्च न्यायालयों के वर्तमान अतिरिक्त न्यायाधीशों के अल्पकालिक विस्तार के संबंध में विधि मंत्री द्वारा जारी परिपत्र को चुनौती दे सकते हैं एवम् ऐसे अधिवक्ताओं को या तो व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ताओं के संघ का प्रतिनिधित्व करते हुए रिट याचिका के विषय में न केवल पर्याप्त हित अपितु उनका अपना विशेष हित भी निहित है। इसी प्रकार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के विधि व्यवसाय करने वाले अधिवक्ताओं की वर्तमान रिट याचिका के विषय-वस्तु अर्थात छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित करने में पर्याप्त रुचि है और हम इस आधार पर वर्तमान रिट याचिका को खारिज नहीं कर सकते कि एक विधि व्यवसाय करने वाले अधिवक्ता के पास उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता को नामित करने की प्रक्रिया को चुनौती देने के लिए रिट याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जब कोई अधिवक्ता न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के पद पर नामित करने की प्रक्रिया को चुनौती देता है, तो वह न्यायालय न्यायिक समीक्षा के सुस्थापित सिद्धांतों को छोड़कर किसी अधिवक्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता के पद पर नियुक्ति करने के उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. श्री वी.जी. तामस्कर ने आगे निवेदित किया है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16(2) सहपठित धारा 34(1) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम बनाए हैं, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नामित किए

जाने की प्रक्रिया, साथ ही वह रीति बताई गई है जिससे किसी अधिवक्ता द्वारा उसे वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने के लिए आवेदन दायर किया जाएगा तथा वह रीति जिससे ऐसे आवेदनों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए उपरोक्त नियमों का छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी 5 से 21 को इस न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करते समय पालन नहीं किया गया है। श्री तामस्कर ने दृढ़तापूर्वक निवेदित किया है कि यदि उत्तरदाता क्रं. 5 से 21 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार नामित नहीं किया गया है, तो वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में उनका नामित किया जाना अवैध है। उन्होंने निवेदित किया कि जब तक छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के पद पर नियुक्ति के नियम नहीं बनाए जाते, तब तक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम लागू रहेंगे तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को उन्हें लागू करना होगा। अपने निवेदन के समर्थन में उन्होंने मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 25 के प्रावधानों का हवाला दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. श्री वी.जी. तामस्कर द्वारा की गई उक्त प्रस्तुति के आलोक में, हमने दिनांक 20-07-2005 के आदेश द्वारा प्रतिवादी 5 से 21 को इस न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने के संबंध में इस न्यायालय की रजिस्ट्री से अभिलेख मांगे हैं तथा दिनांक 20-07-2005 के उक्त आदेश के अनुसरण में प्रतिवादी 5 से 21 को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने से संबंधित अभिलेख रजिस्ट्री द्वारा हमारे समक्ष रखे गए हैं। उक्त अभिलेखों के अवलोकन से हम पाते हैं कि दिनांक 09-01-2002 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के फुल कोर्ट ने यह संकल्पित किया था कि प्रतिवादी

क्रमांक 5 - डॉ. एन.के. शुक्ला, श्री वी.डी. बाजपेयी, श्री श्री कुमार अग्रवाल और श्री सुरेश कुमार सिन्हा को अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 16 (2) के अंतर्गत वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया जाए। उक्त अभिलेखों के अवलोकन से हम यह भी पाते हैं कि 06-01-2005 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के फुल कोर्ट ने उत्तरदाता क्रं. 6 से 21 को बार में उनकी स्थिति और उनके प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने का संकल्प लिया गया था। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के फुल कोर्ट द्वारा दिनांक 09.01.2002 और 06.01.2005 को अपनाए गए प्रस्तावों में इस बात का कोई संकेत नहीं है कि उत्तरदाता क्रं. 5 से 21 को नामित करने का निर्णय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित करने के लिए बनाए गए नियमों पर विचार करने के बाद लिया गया था। उक्त समस्त संकल्प यह इंगित करते हैं कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं को अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16 (2) के प्रावधानों के अनुसार नामित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 25, जिस पर श्री वी.जी. तामस्कर द्वारा बहुत अधिक अवलंब लिया गया है, नीचे उद्धृत है:

> "**25. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में व्यवहार एवं प्रक्रिया** - इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में व्यवहार एवम् प्रक्रिया के संबंध में नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि, आवश्यक उपांतरों सहित, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होगी और तद्नुसार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को व्यवहार एवम्

प्रक्रिया के संबंध में नियम और आदेश बनाने की ऐसी समस्त शक्तियां होंगी जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा नियत दिन के ठीक पूर्व प्रयोक्तव्य हैं।

परंतु यह कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में व्यवहार एवम् प्रक्रिया के संबंध में नियत दिन से ठीक पूर्व तक प्रवृत्त कोई भी नियम या आदेश, जब तक छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों या आदेशों द्वारा परिवर्तित या वापस नहीं ले लिए जाते, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में व्यवहार एवम् प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक उपान्तरणों सहित उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे, मानो वे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा ही बनाए गए हों।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उक्त अधिनियम की धारा 25 में प्रयुक्त भाषा से यह स्पष्ट होगा कि "मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में व्यवहार एवम् प्रक्रिया" के संबंध में नियत तिथि के ठीक पूर्व प्रवृत विधि ही, आवश्यक संशोधनों के साथ, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होगी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधिवक्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने के लिए बनाए गए नियम निश्चित रूप से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में व्यवहार एवम् प्रक्रिया के संबंध में नियम नहीं हैं और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने के लिए लागू नहीं होंगे।

7. श्री तामस्कर ने आगे निवेदन किया है कि किसी भी स्थिती में, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिवक्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किए जाने हेतु छत्तीसगढ़

उच्च न्यायालय द्वारा कुछ नियमों का पालन किया जाना चाहिए और ऐसे किसी भी नियम के अभाव में, नामित किया जाना मनमाना और विधि के विपरीत होगा।

8. अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 16 (2) नीचे उद्धृत है:

> "16(2) - किसी अधिवक्ता को उसकी सहमति से वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया जा सकता है, यदि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की यह राय हो कि उसकी योग्यता (बार में प्रतिष्ठा या विधि में विशेष ज्ञान या अनुभव) के आधार पर वह ऐसे सम्मान का अधिकारी है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ऊपर उद्धृत धारा 16 (2) यह नहीं कहती है कि उच्च न्यायालय को उन नियमों का पालन करना होगा जो उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। तथापि , धारा 16(2) स्वयं उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधिवक्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने हेतु विचार योग्य मानदंडों को निर्धारित करती है। अधिनियम की धारा 16(2) में पूर्वोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि केवल तभी, जब उच्च न्यायालय की यह राय हो, कि एक अधिवक्ता अपनी योग्यता, बार में प्रतिष्ठा अथवा विधि में विशेष ज्ञान या अनुभव के आधार पर वरिष्ठ अधिवक्ता की उपाधि के योग्य है, ऐसे अधिवक्ता को उसकी सहमति से वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया जा सकता है। अतः बार में योग्यता या प्रतिष्ठा या विधि में विशेष ज्ञान या अनुभव एक अधिवक्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने के मानदंड हैं। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16 (2) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "यदि उच्च न्यायालय की यह राय है" यह और स्पष्ट करती है कि किसी

अधिवक्ता की योग्यता, बार में प्रतिष्ठा या विधि में विशेष ज्ञान या अनुभव के बारे में उच्च न्यायालय की राय ही इस तथ्य का निर्णय करने हेतु सुसंगत है कि किन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता के पद से नामित किया जाना चाहिए अथवा नहीं।

9. वर्तमान मामले में, जैसा कि हमने देखा है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के फुल कोर्ट ने दिनांक 09.01.2002 को आयोजित अपनी बैठक में और दिनांक 06.01.2005 को आयोजित अपनी बैठक में यह राय बनाई है कि उक्त प्रस्तावों में नामित अधिवक्ताओं को अधिवक्ता अधिनियम, 1981 की धारा 16 (2) के तहत वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया जाए। जब तक, यह स्पष्ट न हो जाए कि उक्त राय दुर्भावनापूर्ण या बाहरी विचारों से प्रभावित है, यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया है कि दुर्भावनापूर्ण या बाहरी विचार ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के फुल कोर्ट को उत्तरदाता क्रं. क्र. 5 से 21 को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने के लिए प्रभावित किया है। अतः हम इसमें (मामले में) हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. श्री तामस्कर ने तर्क किया कि रिट याचिका के साथ संलग्न दस्तावेज़ अनुलग्नक पी-16 में यह स्पष्ट है कि उन्होंने 07.02.2005 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में विधि व्यवसाय करने वाले अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने के लिए 01.11.2000 के पश्चात आहूत उच्च न्यायालय की फुल कोर्ट की बैठकों की कार्यवाहियों की प्रमाणित

प्रतियां उपलब्ध कराने के लिए आवेदन किया था, परंतु ऐसी कोई प्रमाणित प्रति उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई।

11. *सार्वजनिक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां* भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा- 76 के अंतर्गत उल्लेखित हैं तथा उक्त धारा निम्नानुसार उद्धृत है:

> "76. सार्वजनिक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां- प्रत्येक लोक अधिकारी, जो किसी लोक दस्तावेज की अभिरक्षा में है, जिसका निरीक्षण करने का किसी व्यक्ति को अधिकार है, उस व्यक्ति को मांगे जाने पर उसके लिए विधिक फीस का भुगतान करके उसकी एक प्रति देगा, तथा ऐसी प्रति के नीचे एक प्रमाणपत्र भी लिखेगा कि वह, यथास्थिति, ऐसे दस्तावेज या उसके किसी भाग की सत्य प्रतिलिपि है, तथा ऐसे प्रमाणपत्र पर ऐसे अधिकारी द्वारा दिनांक और नाम तथा पदीय पदनाम अंकित किया जाएगा, तथा जब कभी ऐसा अधिकारी विधि द्वारा मुहर का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, तब उसे मुहरबंद किया जाएगा; तथा इस प्रकार प्रमाणित प्रतियां प्रमाणित प्रतियां कहलाएंगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 76 की भाषा से यह स्पष्ट है कि कोई लोक दस्तावेज, जिसका निरीक्षण करने का किसी भी व्यक्ति को अधिकार है, केवल प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया है जो यह दर्शाए कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में विधि व्यवसाय करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित करने के लिए दिनांक 01.11.2000 के पश्चात बुलाई गई छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की फुल कोर्ट की बैठकों के प्रस्तावों का निरीक्षण करने का अधिकार है।

12. श्री तामस्कर ने अंत में निवेदन किया है कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16(3) में प्रावधान है कि वरिष्ठ अधिवक्ता अपने विधि व्यवसाय के मामले में ऐसे प्रतिबंधों के अधीन होंगे, जैसा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया विधि वयवसाय के हित में निर्धारित कर सकती है। उन्होंने निवेदन किया है कि रिट याचिका में किए गए कथनों और साथ ही संलग्न दस्तावेजों से पता चलता है कि उत्तरदातागण क्रं. 5 से 21 में से कुछ, जिन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता घोषित किया गया है, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के विधि वयवसाय के हित में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने उत्तरदाता क्रं. 5 से 21 को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदनामित किया जाना अपास्त करने की प्रार्थना की है और संबंधित अधिकारियों को उन वरिष्ठ अधिवक्ताओं के विरुद्ध जिन्होंने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16(3) के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन किया है, कार्रवाई करने का निर्देश देने की प्रार्थना नहीं की है। जैसे कि पूर्व में विचार किया गया है, हम प्रतिवादी क्रं. 5 से 21 को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने के आदेश को अपास्त करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, लेकिन यदि याचिकाकर्ता द्वारा एक अलग रिट याचिका दायर की जाती है, जिसमें यह स्थापित किया जाता है कि प्रतिवादी क्रं. 5 से 21 में से किसी ने भी अधिवक्ता अधिनियम, 1981 की धारा 16 (3) के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन किया है, तो

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यायालय ऐसी रिट याचिका पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकती है। तथापि, इस रिट याचिका में हम कुछ निर्देश देना चाहते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लगाए गए कुछ प्रतिबंधों का पालन किया जाए।

13. किंतु यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधिवक्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करना या न करना पारदर्शी हो, यह उपयुक्त होगा कि उच्च न्यायालय किसी अधिवक्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने के लिए दिशा-निर्देश बनाए और उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालयों में विधि व्यवसाय करने वाले अधिवक्ताओं सहित सभी संबद्ध व्यक्तियों को इसकी सूचना दे, जैसा कि अन्य उच्च न्यायालयों में किया गया है। अतः, हम प्रतिवादी क्रं.1 को अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16(2) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए किसी अधिवक्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश देते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. अतः, हम इस रिट याचिका का निराकरण उत्तरदाता क्रं.1 को निर्देश देते हुए करते हैं कि वह आज से दो माह के भीतर अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करें और उसके बाद ऐसे दिशानिर्देशों के अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम के लिए अधिवक्ताओं के लंबित आवेदनों पर विचार करें। हम उत्तरदाता क्रं. 1 को यह भी निर्देश देते हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि अधिवक्ता, जिन्हें उत्तरदाता क्रं. 5 से 21 सहित वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया

गया है, इस न्यायालय में कोई वकालतनामा दायर नहीं करें और उनके नाम अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16(3) और 49(1)(जी) के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अनुसार, वाद सूची में नहीं आएं।

सही/- **सही /-**

मुख्य न्यायाधीपति **सतीश के. अग्निहोत्री**

न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By ...VARTIKA VERMA.....